Df A. (8)
a

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– 2033 दिनांकः–20.10.2015
14-11.2015

विद्या परिषद् बैठक दिनांक 14.10.2015 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.10.2015 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की द्वितीय बैठक परीक्षा नियंत्रक कक्ष में प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें –

1.	डॉ. विमलेश चौधरी	अध्यक्ष (माननीया कुलपति)
2.	श्री हनुमाना राम ईसरान,	सदस्य (संकायाध्यक्ष कला)
3.	श्री बाबूलाल जांगिड़	सदस्य (संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान)
4.	डॉ. गोपाल सिंह कलवानियां	सदस्य (संकायाध्यक्ष विज्ञान)
5.	डॉ. एम. जेड. कुरेशी	सदस्य (संकायाध्यक्ष वाणिज्य)
6.	डॉ. दिलसुख थालौड़	सदस्य (संकायाध्यक्ष विधि)
7.	डॉ. राकेश कुमार	सदस्य (संकायाध्यक्ष शिक्षा)
8.	डॉ. रतन लाल मिश्रा	सदस्य (प्राचार्य, सेवानिवृत)
9.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार	सदस्य (व्याख्याता, राज. महा. सीकर)
10.	डॉ. मदन सिंह पूनिया	परीक्षा नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)
11.	डॉ. शमसुद्दीन खान	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम कुलपति महोदया द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं डॉ. राकेश कुमार, प्राचार्य, मोहिनी देवी गोयनका बी.एड. महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ को संकायाध्यक्ष, शिक्षा मनोनित किये जाने पर उनको बधाई देते हुए स्वागत किया। मा. सदस्यों ने कहा कि यह बैठक परीक्षा कार्य से संबंधित है, इसलिए परीक्षा नियंत्रक को भी बैठक में आमंत्रित किया जावे। गत बैठक के निर्णयों की पालना रिपोर्ट का कुछ संशोधन के साथ सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. गत बैठक में डेफर किये गये बिन्दु–

i. **विषय प्रतिबंध–** मा. सदस्यों ने सुझाव दिया कि ऑनलाईन परीक्षा फार्म में सभी विषयों की details पहले से अपलोड करवा दी जावे। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा गृह विज्ञान पुरूष विद्यार्थी द्वारा अध्ययन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इस हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्रतिबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। डॉ. दिलसुख थालौड़ ने कहा कि गृह विज्ञान विषय अध्ययन का अधिकार केवल महिला विद्यार्थी को ही है, यदि इस विषय को पुरूष विद्यार्थी opt करते हैं, तो यह कानून के आर्टिकल 15 के अनुसार महिला अधिकारों के विपरीत होगा। जो विषय प्रतिबंध राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये हैं, उन्हीं को हूबहू परीक्षा

14/11/15

ii. **CoC व Ad-hoc CoC के गठन पर चर्चा–**

CoC के गठन में मा. सदस्यों ने बताया कि BoS में मनोनीत सदस्य को इसमें शामिल नहीं करें। नये संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए CoC का गठन करें। जो पाठ्यक्रम तीन वर्षीय हैं, के लिए अध्ययन मण्डल का गठन परन्तु अपवाद स्वरूप पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा M.Sc. (IT) के लिए Committee of Courses का गठन कर लिया जावे तथा इससे कम अवधि के पाठ्यक्रम के लिए Committee of Courses का गठन कर लिया जावे। BBA के लिए अलग से अध्ययन मण्डल का गठन नहीं करके इसे व्यावसायिक प्रशासन विषय से जोड़ दिया जावे। Ad-hoc CoC पर चर्चा नहीं हुई। जहां आवश्यकता हो, वहां राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर सेटर से पेपर बनवाया जा सकता है।

4. नये परीक्षा केन्द्र बाबत आवेदन पत्र के प्रारूप एवं शुल्क का अनुमोदन तथा पूर्व के केन्द्रों को निरन्तर परीक्षा केन्द्र बनाये रखने हेतु लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है–

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के द्वारा जारी परीक्षा केन्द्र आवेदन पत्र को कुछ संशोधन उपरान्त स्वीकार किया गया है। इस आवेदन पत्र के साथ सीसीटीवी कैमरा चालू रखने का शपथ पत्र अलग से जोड़ा गया है, जिसमें अंकित हो कि परीक्षा संचालन कक्ष तथा प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा हो तथा परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन शुल्क रू. 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार मात्र) रखा गया है। परीक्षा 2015 में जो राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र थे, इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले उन समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवेदन करना अनिवार्य है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने वर्ष 2016 की परीक्षाओं के लिए बिना विलम्ब शुल्क परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन शुल्क रू. 30000/– (अक्षरे तीस हजार मात्र) दिनांक 16.10.2015 को राजस्थान पत्रिका में जारी विज्ञप्ति में रखा है। **(संलग्न–F/1)**

5. परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल की रिपोर्ट के प्रारूप का अनुमोदन–

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट का प्रपत्र कुछ संशोधन उपरान्त स्वीकार किया गया। दल इस आशय का शपथ पत्र लेगा कि सभी परीक्षा कक्षों में तथा परीक्षा संचालन कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक होगा। सीसीटीवी कैमरों को परीक्षा के दौरान कार्यशील रखना महाविद्यालय प्राचार्य का दायित्व होगा।

6. विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्रों को कोड नम्बर देने पर विचार तथा ईपीएमसी का गठन–

प्रश्न पत्रों को कोड नम्बर देने हेतु ईपीएमसी के गठन का निर्णय हुआ, जिसमें मा. कुलपति महोदया ने निम्नलिखित को संयोजक एवं सदस्य के रूप में नामित किया–

1. डॉ. रतन लाल मिश्रा, संयोजक
2. प्रो. एच. आर. ईसरान, सदस्य
3. प्रो. बाबूलाल जांगिड़, सदस्य
4. प्रो. एम. जेड. कुरेशी, सदस्य

14/11/15

(6)

12. अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु–

i. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक प.02 (01)मगसिंविबी/परीक्षा/गोपनीय/2015/17640 दिनांक 14.08.2015 के आदेश में उल्लेखित पारिश्रमिक दरें जिनका विद्या परिषद के मा. सदस्यों ने उक्त पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया।

ii. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के ही पत्र क्रमांक F.02 ( )MGSUB /Secy./2012/13970 दिनांक 31.07.2012 का पत्र जिसमें विश्वविद्यालय स्टाफ को दिये जाने वाले ओवर टाईम एवं बैठक आयोजन हेतु तथा अन्य कार्यों के लिए दिये जाने वाले मानदेय को हूबहू अपनाकर कर मा. सदस्यों ने उक्त पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदित किया। इस आशय का महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से नवीन दरों का पत्र मंगवा कर उसके अनुरूप कार्यवाही की जावे। नवीन दरों का अनुमोदन किया जाता है। अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
14/11/15